

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष इत्यादि को प्रतिलिपि नं० 2817-एस-71 दिनांक 10 मई, 1971 प्रेषित है।

विषय : गोपनीय रिपोर्ट प्रशंसा पत्र जारी करना।

क्या सभी वित्तायुक्त तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार कृपया राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 1624-3 एस-71 दिनांक 31, मार्च, 1971 द्वारा उपरोक्त विषय पर जारी किए गए अनुदेशों की ओर ध्यान देंगे जिनमें यह कहा गया था कि समानता रखने के लिए प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के ऐसे मामले जिन में सराहना पत्र देने का प्रस्ताव हो, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार (सेवाएं शाखा) द्वारा मुख्य मंत्री के आदेश के लिए भेजे जाएं।

2. अब इस मामले पर पुनर्विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में ऐसे सभी केस संबंधित विभाग द्वारा सीधे मुख्य मंत्री महोदय को आदेश के लिए प्रस्तुत किए जाएं।

3. इस पत्र की कृपया पावती भेज।